



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 505]  
No. 505]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 31, 1986/कार्तिक 9, 1908  
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 31, 1986/KARTIKA 9, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Pageing is given to this Part in order that it may be filed as  
a separate compilation \*

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 1986

सा.का.नि. 1173 (ख).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए काण्डला पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए काण्डला पत्तन न्यास कर्मचारी (आवास का आबंधन) (संशोधित) विनियम, 1986 का अनुमोदन करती है जैसा कि इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं.पी.आर.12016/7/86-पी० इ० आई०]

पी० एम० अब्राहम, अपर सचिव

अनुसूची

कांडला पोर्ट ट्रस्ट

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 28 के के अधीन निहित शक्तियों के अनुसरण में कांडला पोर्ट न्यासी मंडल द्वारा निम्नलिखित विनियमों को एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 124 के उपबंधों के अनुसार प्रकाशित किया जाता है:—

1. ये विनियम कांडला पोर्ट कर्मचारी (आवास का आबंधन) (संशोधन) विनियम, 1986 कहे जाएंगे।

2. कांडला पोर्ट कर्मचारी (आवास का आबंधन) विनियम, 1964 के विनियम 9 के विद्यमान उप विनियम (I) (III) को विलोपित किया जाएगा।

पद टिप्पणो:—

सुलभ विनियम जी० ए० आर० संख्या 300 दिनांक 29-2-1964 के अधीन प्रकाशित किए गए थे।

कडला पोर्ट कर्मधारी (आवास का आवंटन) विनियम, 1964 के विनियम 9 (I) (III), में संशोधन हेतु सरकार का अनुमोदन दिनांक 21-10-1975 के पत्र संख्या पी.ई. के. (52)/75 के अधीन प्राप्त हुआ था जिले दिनांक 27-11-1975 के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

## MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 1986

G.S.R. 1173(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124 read with sub-section (1) of section 132, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Employees (Allotment of Residence) (Amendment) Regulations 1986 made by the Board of Trustees of the Port of Kandla and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[File No. PR-12016/7/86-PE. I]

P. M. ABRAHAM, Addl. Secy.

## 'SCHEDULE'

### "KANDLA PORT TRUST"

#### KANDLA PORT EMPLOYEES (ALLOTMENT OF RESIDENCE (AMENDMENT) REGULATIONS, 1986

#### NOTIFICATION

In exercise of powers conferred upon them by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Board of Trustees of the Port of Kandla hereby amend the Kandla Port Employees (Allotment of Residence) Regulations, 1964 further to make the following Regulations, namely,—

1. These Regulations may be called the Kandla Port Employees (Allotment of Residence) (Amendment) Regulations, 1986.
2. Existing sub-regulation (1) (iii) of Regulation 9 of the Kandla Port Employees (Allotment of Residence) Regulations, 1964 shall be deleted.

Foot note :

The principal regulations were published under G.S.R. No. 300 dated 29-2-1964.

Government's approval for amendment to Regulations 9(i) (iii) of the Kandla Port Employees (Allotment of Residence) Regulations, 1964 was received under letter No. PEK(52)/75 dated 21-10-1975 which was published in the official Gazette of 27-11-1975.